कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, कानपुर नगर।

पत्रांक 12 /सां0नि0/बजट/2022-23 दिनांक: 21 अप्रैल 2022

परियोजना प्रबन्धक,
यू0पी0 प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लि0, यूनिट-10
कानपुर।

कृपया सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत डा0 सुधांशु त्रिवेदी मा0 संसद सदस्य, राज्य सभा के पत्र दिनांक 18.12.2021 का सन्दर्भ गृहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न) जिसके द्वारा छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के शैक्षिक उन्नयन एवं अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के दृष्टिगत परिसर में स्थापित श्री अटल बिहारी बाजपेयी स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज के कक्षों के निर्माण हेतु अपनी सांसद निधि से रू0 **50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र)** का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

अतः मा0 सांसद द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के कम में जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर द्वारा उक्त कार्य को कराये जाने हेतु **यू0पी0 प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लि0, यूनिट-10 कानपुर** को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया गया है।

कृपया निम्नलिखित बिन्दुओं के अनुसार आगणन तैयार कर तत्काल डी0आर0डी0ए0 में प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

(1) डी0आर0डी0ए0 से आगणन तैयार करने हेतु पत्र प्राप्त होते ही कार्यदायी संस्था द्वारा लो0नि0वि0 के वर्तमान शिड्यूल ऑफ रेट्स (स्वीकृत दरों) के आधार पर ही स्थलीय स्थिति के अनुरूप ही आगणन तैयार किया जायेगा। अधूरे कार्य का आगणन तैयार नहीं किया जायेगा। आगणन के साथ स्थल का छायाचित्र भी खींचा जायेगा, जिसमें कार्यदायी विभाग के अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता भी प्रदर्शित हों। कोई भी आगणन अनुरक्षण/अपग्रेडेषन कर तैयार कर प्रेशित नहीं किया जायेगा। धार्मिक स्थल/प्राइवेट जमीन से सम्बन्धित कार्य का आगणन तैयार नहीं किया जायेगा। आगणन तैयार करते समय तथा कार्य के क्रियान्वयन में योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का परिपालन पूर्ण रूपेण सुनिष्चित किया जायेगा।

(2) **सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत जारी मार्ग-निर्देशों के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जाने वाले कार्यों में कार्यान्वयन अभिकरण प्रबन्ध सम्बन्धी आरम्भिक कार्यों कार्यान्वयन पर्यवेक्षण आदि से सम्बन्धित अपनी सेवाओं के लिये किसी भी तरह का प्रशासनिक व्यय, सेंटेज आदि नहीं लेंगे।**

(3) स्वीकृत कार्य को समयान्र्तगत प्रारम्भ कराकर पूर्ण कराया जायेगा तथा समय से द्वितीय किष्त की मांग प्रेशित करते समय स्थल का छायाचित्र अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक की उपस्थिति प्रदर्षित करते हुये प्रेशित किया जायेगा तथा कार्य की गुणवत्ता भी प्रमाणित की जायेगी। तदोपरान्त सत्यापन के उपरान्त कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर अवशेष धनराशि द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त की जायेगी। स्थल पर कार्य से सम्बन्धित पत्थर अवश्य लगाया जायेगा।

(4) कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जायेगा।

21-4-22

(राम कृपाल चौधरी)
परियोजना निदेषक
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
कानपुर नगर।

पृ0सं0 22 /तददिनांकित

प्रतिलिपिः
(1) डा0 सुधांशु त्रिवेदी मा0 संसद सदस्य, राज्य सभा को सूचनार्थ प्रेषित।
(2) कुलपति, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर (मो0नं0 9414189254) को सूचनार्थ एवं प्रस्तावित कार्य हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें।

परियोजना निदेषक
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
कानपुर नगर।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर - 208024
Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur- 208024

प्रो. विनय कुमार पाठक
कुलपति
Prof. Vinay Kumar Pathak
Vice Chancellor

सीएसजेएमयू/वीसीसी/413/2022
06 जनवरी , 2022

सेवा में

जिलाधिकारी,
कानपुर नगर।

विषयः– डा0 सुधांशु त्रिवेदी मा0 सांसद, राज्य सभा द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित अटल बिहारी बाजपेयी स्कूल आफ लीगल स्टडीज के शैक्षिक उन्नयन एवं अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के दृष्टिगत परिसर में कक्षों के निर्माण हेतु सांसद निधि से प्रदान किए गये रू0 50 लाख हेतु कार्यदायी संस्था के चयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय परिसर में संचालित अटल बिहारी बाजपेयी स्कूल आफ लीगल स्टडीज के शैक्षिक उन्नयन एवं अवस्थापना सुविधाओ के सुदृढ़ीकरण के दृष्टिगत अतिरिक्त कक्षो के निर्माण हेतु विश्वद्यािलय द्वारा कार्यदायी संस्था यू0पी0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड को नामित किया जा चुका है। कार्यदायी संस्था द्वारा अटल बिहारी बाजपेयी स्कूल आफ लीगल स्टडीज के अन्तर्गत स्थापित एल0एल0एम0 भवन के पूर्णतया सुसज्जित (Full Furnished) फर्नीचर एवं अन्य एक्सटेंशन कार्यो हेतु प्रेषित आंगणन रू0 1335.97/– लाख की स्वीकृति विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जा चुकी है।

डा0 सुधांशु त्रिवेदी मा0 सांसद, राज्य सभा द्वारा, सांसद निधि से प्रदत्त धनराशि रू0 50.00 लाख रूपये से विश्वविद्यालय के अटल बिहारी बाजपेयी स्कूल आफ लीगल स्टडीज के अतिरिक्त कक्षों के निर्णाण हेतु आप द्वारा लोक निर्माण विभाग, भवन खण्ड, कानपुर को कार्यदायी संस्था के रूप में चयन किया गया है।

अतः विश्वविद्यालय के अटल बिहारी बाजपेयी स्कूल आफ लीगल स्टडीज में अवस्थापना सुविधाओ के सुदृढ़ीकरण के दृष्टिगत कक्षो के निर्माण हेतु आप द्वारा नामित कार्यदायी संस्था–लोक निर्माण विभाग, भवन खण्ड, कानपुर के स्थान पर विश्वविद्यालय द्वारा नामित कार्यदायी संस्था यू0पी0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड से उक्त कार्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए सांसद निधि से प्रदत्त धनराशि रू0 50.00 लाख स्थानान्तरित करने का कष्ट करें।

भवदीय

प्रो0(विनय कुमार पाठक)
कुलपति

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
1. डा0 सुधांशु त्रिवेदी मा0 संसद सदस्य राज्य सभा को सूचनार्थ प्रेषित।
2 परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, कानपुर नगर।
3. प्रोजेक्ट मैनेजर यू0पी0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0 यूनिट–10 कानपुर।
4. कुलसचिव/वित्त अधिकारी।

कुलपति

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

कार्यालय/Office : +91-512-2581280
फैक्स/Fax : +91-512-2581280
ई.मेल/E-mail : vcocsjmu@gmail.com
वेबसाईट/Website : www.csjmu.ac.in

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक (केन्द्रीय भण्डार)

यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन लि0

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
उद्योग कुंज रोड नियर हलुआखाड़ा (रजवाहा)
नौरैया खेड़ा (नहर कोठी), दादा नगर, कानपुर–208022
CIN : U15209UP1976SGC004285

पत्रांक 346 /पी.सी.एल./पी.एम./कानपुर/ दि0 13/06/2022

सेवा में,

परियोजना निदेशक
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
कानपुर नगर।

विषय: छत्रपति शाहू जी महराज विश्वविद्यालय कानपुर के शैक्षिक उन्नयन एवं अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के दृष्टिगत परिसर में स्थापित श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल आफ लीगल स्टडीज के कक्षों के निर्माण हेतु आगणन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक 22/सां0नि0/बजट/2022–23 दिनांक 21 अप्रैल, 2022

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा छत्रपति शाहू जी महराज विश्वविद्यालय कानपुर के शैक्षिक उन्नयन एवं अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के दृष्टिगत परिसर में स्थापित श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल आफ लीगल स्टडीज के कक्षों के निर्माण हेतु आगणन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के क्रम में आप द्वारा वांछित आगणन रू0 50.03 लाख का गठित कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

परियोजना प्रबन्धक
निर्माण इकाई–10, कानुपर

17-6-22

पंजीकृत कार्यालय : गोमती बैराज बॉया तट, गोमती नगर, लखनऊ
फोन : 2308911, 2308945, 2308946, 2308947, 2308978 फैक्स : 0522–2308242
E-mail : pm_10@upprojects.org Website : www.upprojects.org

December 28, 2022

To,
Vice Chancellor,
CSJM University, Kanpur-208001

Kind Attn: Prof. Vinay Kumar Pathak, VC, CSJM University, Kanpur

Dear Sir / Madam,

Subject: Collaboration towards Rain Water Harvesting Project with ICICI Foundation for Inclusive Growth

ICICI Foundation for Inclusive Growth (ICICI Foundation) is a public charitable trust set up with the objectives as set out in the Trust Deed dated January 04, 2008, which *inter alia,* includes catalyzing and accelerating inclusive social and economic development through empowerment of poor by integrated action in the diverse fields connected to the society in order to augment India's inclusive growth process. As a part of achieving such objectives ICICI Foundation undertakes various social and environmental initiatives.

ICICI Foundation and Chatrpati Sahu Ji Maharaj University, Kanpur (Partner) have mutually agreed to collaborate towards installation of Rain Water Harvesting System (hereinafter referred to as the Program on the below mentioned terms:

a) Branding:

   The branding for the Program shall be decided by ICICI Foundation in consultation with the Partner. The Partner shall also acknowledge the contribution of ICICI Foundation and the ICICI Group entity that is supporting the CSR project under the Program. At ICICI Foundation's request the Partner shall also acknowledge the contribution from the designated partner of ICICI Foundation who has contributed either directly / indirectly for the good of the project under the Program.

b) Entitlement to benefits:

   In the event that any carbon credits / renewable energy certificate / other sustainability credit / any benefit in any form whatsoever accrues as a result of the activities undertaken under the Program then the entitlement of the same at all times shall vest with the ICICI Group entity supporting the CSR project being undertaken under the Program. This clause shall survive the term of the Program.

c) ICICI Foundation shall be at the liberty to tie-up with any entity / entities of its choice, as per its internal process, for the purpose of getting support.

d) Other applicable terms shall be as per the purchase order issued to the partner from time to time.

This letter has been issued in duplicate, please countersign and return a copy as a token of your acceptance to the terms mentioned herein.

For ICICI Foundation for Inclusive Growth	For District Administration
Authorised Signatory	Authorised Signatory

पंजीकरण संख्या
KAP/08162/2021

श्री विश्वेश्वर सेवा समिति

मन्दिर छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, परिसर, कानपुर

पत्रांकः

दिनांकः 31/03/22

सेवा में,

श्रीमान् कुलसचिव
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय
कानपुर

विषयः मन्दिर समिति द्वारा अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया श्री विश्वेश्वर सेवा समिति द्वारा अपनी दिनांक 31.03.2022 की सम्पन्न बैठक में सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, परिसर के संस्थान में अध्ययनरत निर्धन छात्र/छात्राओं के शैक्षणिक प्रायोगार्थ रूपये 15 लाख अनुदान निर्धन छात्र/छात्राओं के शिक्षा हेतु दिया जाय ।

अतः समिति के निर्णयानुसार रूपये 15 लाख मात्र का अनुदान स्वीकार करने का कष्ट करें ।

(अध्यक्ष) (सचिव) (कोषाध्यक्ष)